तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज GCMS-2023/768 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना उनवानी धर्मेन्द्र सिंह वगै0 बनाम अनिल कुमार वगै मु.सं. 195/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-09-2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। वकील वादीगण ने आपति विभाजन प्रस्ताव पर जवाब न पेश कर सीधी बहस सुने जाने का निवेदन किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। विभाजन प्रस्ताव/ आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 08.10.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
08-10-2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव /आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना ने मौके पर जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में विवादित भूमि का अच्छे से अच्छा व बुरे से बुरा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया हैं। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने की कृपा करें। वकील वादीगण की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं उसमें सभी खातेदारान के हिस्से के अनुसार एवं कब्जे के अनुसार विभाजन किया जाकर प्रत्येक खातेदार के हिस्से की अलग–अलग बटा नम्बर दर्ज करते हुए उसी अनुसार मौके का नक्शा तैयार कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए था। किन्तु प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में अधिकांश खातेदारान को एक साथ हिस्से में भूमि दी गई हैं। जबकि सभी खातेदारान को विभाजन का लाभ प्राप्त होना चाहिए। अतः आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्येक खातेदार के हिस्से एवं कब्जे अनुसार खसरा नम्बरान को बटा नम्बर के रूप में दर्ज करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश के साथ पुनः प्रेषित करने का आदेश फरमाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव एवं आपत्ति विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकील प्रतिवादीगण ने अपनी आपत्ति में कोई स्पष्ट	

अंकन नही किया जिस कारण विभाजन प्रस्ताव दुबारा से मंगवाया जाना आवश्यक हो। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र मालीराम वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र रामस्वरूप वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 195 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री देवेन्द्र चौधरी, श्री मुरारी लाल यादव, श्री जितेन्द्र यादव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 08 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत............
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।